

उष्ट्र संरक्षण योजना

राजस्थान राज्य में ऊँट पशु की लगातार घटती संख्या को रोकने तथा ऊँट प्रजनन को बढ़ावा दिया जाने के उद्देश्य से संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-2023 के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से राज्य में उष्ट्र संरक्षण योजना प्रारम्भ की गयी है।

योजना की पात्रता

राजस्थान राज्य के समस्त मूल निवासी जन आधार कार्ड/आधार कार्ड धारक ऊँट पालक जिनकी ऊँटनी से पैदा हुई सन्तति नर/मादा (टोड़ियाँ), जिनकी आयु 0-2 माह है।

योजना में आवेदन करने हेतु, पोर्टल

ऊँट पालकों द्वारा Integrated online Medicine Management Software (पशु औषध) <http://pashuaushadh.com/iomms> पर निर्धारित आवेदन फार्म में ऊँट पालक का विवरण, बैंक खाता, आश्रित ऊँटों, चयन योग्य ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/मादा सन्तति (टोड़ियाँ), आयु 0-2 माह आदि के विवरण का आवेदन में उल्लेख किया जावेगा।

योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

योजना में देय सुविधायें

ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर 0-2 माह के जन्मे टोड़िये हेतु योजनानुसार पात्र होने की स्थिति में कुल राशि 10000 रुपये दो किस्तों में (5000 रुपये प्रति किस्त) उनके बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी।

योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष 1 नवम्बर 2022


डॉ. राम गोपाल उज्ज्वल
सं.नि. पशुधन, कुक्कुट, निष्क

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक: एफ.वी. ()संनिस्मा.ए/ऊंटविकास/बजट घोषणा/2022/5179 दिनांक: 03-02-2023

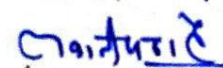
ऊष्ट्र संरक्षण योजना

दिशा-निर्देश

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 155 अन्तर्गत ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए ऊँटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति के अन्तर्गत "ऊष्ट्र संरक्षण योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ऊँटपालकों को ऊँटों के प्रजनन पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- पात्रता:- ऊँटनी जिसकी संतति नर/मादा (टोडिया) की आयु 0-2 माह है को पालने वाले ऊँटपालक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ :- ऊँटनी एवं उससे जन्मे नर/मादा (टोडिया) की आयु 0-2 माह को प्रोत्साहन राशि का लाभ 1 नवम्बर 2022 एवं उसके उपरान्त मिलेगा।
- योजना क्षेत्र- सम्पूर्ण राजस्थान।
- आवेदन- ऊँटपालकों द्वारा Integrated online medicine management software (पशु औषध) <http://www.pashuaushadh.com/iomms> पर निर्धारित आवेदन फार्म में स्वयं, बैंक खाता, आश्रित ऊँटों, चयन योग्य ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह के विवरण का आवेदन किया जावेगा।
 1. जिला संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक कुचामनसिटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित पशु चिकित्सालय/प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था को एक सप्ताह में पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
 2. प्रभारी पशु चिकित्सालय/प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था द्वारा चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह को चयनित कर उनको टैग लगाकर पहचान प्रमाण पत्र जारी करेंगे एवं पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऊँटपालक, टैगिंग की हुई ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह का टैग नम्बर दिखता हुआ स्वप्रमाणित पोस्टकार्ड साइज फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
 3. प्रभारी पशु चिकित्सालय/प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था द्वारा पोर्टल पर पहचान प्रमाणपत्र एवं स्वप्रमाणित पोस्टकार्ड साइज फोटो अपलोड होने के बाद जिला संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक कुचामनसिटी को पोर्टल द्वारा प्रेषित करेंगे।
 4. प्रभारी पशु चिकित्सालय /प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार जिला संयुक्त निदेशक /उप निदेशक कुचामनसिटी को प्रेषित करेंगे। जिला संयुक्त निदेशक /उप निदेशक कुचामनसिटी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार सम्बन्धित प्रपत्रों को डाउनलोड कर ऑन लाइन भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।(परिशिष्ट-अ)
 5. प्रभारी पशु चिकित्सालय /प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था द्वारा पंजीकृत पशुओं का पूर्ण विवरण एक पंजिका में संधारित किया जावेगा। (परिशिष्ट-ब)
 6. चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह की ही टैगिंग करनी है।

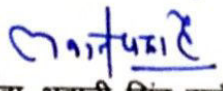
7. ऊँटपालक को चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) के विक्रय/कय करने के मामले में पंजीकृत पशु चिकित्सा संस्था को सूचित करना होगा। (धरिशिष्ट-स)
8. ऊँटपालक को ऊँटनी के गर्भ धारण/काल/ब्याने/मृत्यु एवं टोडिया के मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत पशु चिकित्सालय/प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था को सूचित करना आवश्यक होगा।
9. जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कुचामनसिटी अपने स्तर पर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी में से कम से कम 2 अधिकारियों द्वारा रेण्डम आधार पर कुल चयनित प्रकरणों का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रकरणों में चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह का भौतिक सत्यापन भुगतान से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।
10. जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी द्वारा पंजीकृत ऊँटपालको को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भुगतान की कार्यवाही वरीयता कम अनुसार में प्रथम किशत के रूप में ऊँट पालक के बैंक खाते में राशि रु. 5000/- (रु पाँच हजार मात्र) DBT द्वारा स्थानान्तरित की जा सकेगी।
11. चयनित संतति नर/मादा (टोडिया) की एक वर्ष की आयु होने के पश्चात टोडिया का पहचान प्रमाण पत्र प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था द्वारा पुनः जारी करने के पश्चात एक स्वप्रमाणित पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ जिसमें पंजीकृत पशुपालक चयनित ऊँटनी एवं (टोडिया) का टैग दिखता हुआ संयुक्त फोटो खींचकर प्रभारी पशु चिकित्सालय/प्र.श्रे.प.चि./ ब.उ.प.चि. संस्था को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिसके आधार पर जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी द्वारा प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किशत की राशि रु. 5000/- (रु पाँच हजार मात्र) पंजीकृत ऊँटपालक के बैंक खाते में DBT द्वारा स्थानान्तरित की जावे।
12. पंजीकृत चयनित टोडिये की मृत्यु होने की स्थिति में द्वितीय किशत का भुगतान देय नहीं होगा।
13. एक पंजीकृत चयनित ऊँटनी की द्वितीय संतति को भी न्यूनतम 15 माह के अंतराल उपरांत ही योजनान्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।
14. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा किया जावेगा।
15. जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम/द्वितीय किशत की पृथक पृथक) प्रतिमाह निदेशालय में संयुक्त निदेशक (पशुधन, कुक्कुट विकास एवं निष्क्रमण) एवं अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। योजना की मोनिटरिंग/पर्यवेक्षण निदेशालय स्तर संयुक्त निदेशक (पशुधन, कुक्कुट विकास एवं निष्क्रमण) द्वारा किया जायेगा।
16. इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी द्वारा अपने स्तर पर करवाया जावेगा।
17. पंजीकृत टोडियों एवं ऊँटनी का विभागीय बीमा योजनान्तर्गत बीमा करवाये जाने के लिये पशुपालकों को प्रेरित किया जावे।
18. निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार वित्तीय प्रावधानों में एवं योजना के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।


 (डा. भवानी सिंह राठौड़)
 निदेशक

कमांक: एफ.वी. ()संनिस्मा.ए/ऊंटविकास/बजट घोषणा/2022/5180- दिनांक: 03-02-2023
5224

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान,
6. समस्त संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान
उपनिदेशक कुचामन सीटी, पशुपालन विभाग, राज.
7. रक्षित पत्रावली।


(डा. भवानी सिंह राठौड़)
निदेशक

चैक लिस्ट
ऊँटपालकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु

क्र. स.	बिन्दु	विवरण
1.	ऊँटपालक की आवेदन संख्या	
2.	चयनित ऊँटनी की पंजीकरण संख्या	
3	ऊँटपालक एवं उसके पास उपलब्ध समस्त उष्ट्र वंशीय पशुओं का ब्यौरा प्राप्त कर लिया गया है।	
4	पशु चिकित्सा संस्था के पशु चिकित्सक द्वारा पहचान प्रमाण पत्र	
5	लाभार्थी पंजीकृत ऊँटपालक, टैगिंग उपरान्त ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह (टैग नं. दिखते हुये) का स्वप्रमाणित पोस्टकार्ड साइज फोटो	
6	ऊँटपालक के आधार कार्ड की फोटो प्रति	
7	ऊँटपालक के जनआधार की फोटो प्रति	
8	ऊँटपालक के बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति	

नोट:-ऊँटपालक से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज स्वप्रमाणित होने अनिवार्य है।

2

[illegible][illegible]

9

उंटनी मय टोडिया/टोडिया के बेचान की सूचना का प्रपत्र

सेवा में,
प्रभारी, पशु चिकित्सालय
.....

विषय- उंटनी मय टोडिया/टोडिया के बेचान की सूचना

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि मैंने अपनी उंटनी मय टोडिया/टोडिया का बेचान दिनांक कर दिया है। कृपया इसकी सूचना रिकार्ड में दर्ज का कष्ट करावें। विवरण निम्नानुसार है-

बेचने वाले ऊँटपालक का विवरण	खरीदने वाले ऊँटपालक का विवरण
ऊँटपालक का नाम :-..... पंजीकरण सं.	ऊँटपालक का नाम :-.....
पूर्ण पता :-.....	पूर्ण पता :-.....
फोन/मोबाईल नं० :-.....	फोन/मोबाईल नं० :-.....
आधार कार्ड नं० :-.....जनआधार.....	आधार कार्ड नं० :-..... जनआधार.....
उंटनी का टैग नम्बर.....	
टोडिया का टैग नम्बर.....	

हस्ताक्षर
बेचने वाला ऊँटपालक
दिनांक

हस्ताक्षर
खरीदने वाला ऊँटपालक

उष्ट्र संरक्षण योजना

स्वीकृति पत्र

क. सं.	आवेदन संख्या / दिनांक	पंजीकरण संख्या / दिनांक	ऊँटपालक का नाम	पिता का नाम	मो.नं.
	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएस कोड	देय राशि	देयता तिथी
	बिल नं.	दिनांक			

S.N	BUDGET HEAD	District	Targets/Allocation (Camel Calf born)		Financial Allocation Total (in lacs)
			Physical	Financial	
1.	2403-00-102-(28)-(01)-12 सहायतार्थ GEN	AJMER	26	1.30	1.30
2	"	BHILWARA	86	4.30	4.30
3	"	NAGOUR	48	2.40	2.40
4	"	KUCHAMAN CITY	45	2.25	2.25
5	"	TONK	14	0.70	0.70
6	"	BHARATPUR	41	2.05	2.05
7	"	KAROULI	51	2.55	2.55
8	"	S.MADHOPUR	47	2.35	2.35
9	"	HANUMANGARH	407	20.35	20.35
10	"	ALWAR	116	5.8	5.8
11	"	DAUSA	18	0.90	0.90
12	"	JHUNJHUNU	216	10.80	10.80
13	"	SIKAR	94	4.70	4.70
14	"	JAISALMER	810	40.50	40.50
15	"	JODHPUR	308	15.40	15.40
16	"	SIROHI	84	4.20	4.20
17	"	BARAN	33	1.65	1.65
18	"	BUNDI	72	3.60	3.60
19	"	JHALAWAR	25	1.25	1.25
20	"	KOTA	44	2.20	2.20
21	"	CHITTORGARH	64	3.20	3.20
22.	"	RAJSAMAND	37	1.85	1.85
	Sub total				134.30 Lacs
23	2403-00-796-(18)-(01)-12 सहायतार्थ TSP	BARMER	608	30.40	30.40
24	"	JALORE	117	5.85	5.85
25	"	PALI	112	5.60	5.60
26	"	BANSWARA	11	0.55	0.55
27	"	DUNGARPUR	63	3.15	3.15
28	"	PRATAPGARH	4	0.20	0.20
29	"	UDAIPUR	55	2.75	2.75
	Sub total				48.50 Lacs
30	2403-00-789-(09)-(01)-12 सहायतार्थ scp	DHOLPUR	4	0.20	0.20
31	"	BIKANER	643	32.15	32.15
32	"	CHURU	462	23.10	23.10
33	"	GANGANAGAR	134	6.70	6.70
34	"	JAIPUR	101	5.05	5.05
	Sub total				67.20
(a)	TOTAL (Release for District)				250 Lacs

उष्ट्र संरक्षण योजना

ऊंटपालक को प्रोत्साहन राशि रु. 5000-5000/- प्रदान करने की प्रक्रिया

ऊंटपालक द्वारा पोर्टल <http://www.pashuaushadh.com/iomms> पर
ऑन लाइन आवेदन



जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी पोर्टल
<http://www.pashuaushadh.com/iomms> पर ऑन लाइन आवेदन का
प्राप्त होना एवं सम्बन्धित पशु चिकित्सा संस्था (प.चि./प्र.श्रे.प.चि./ब.उ.प.
चि.) को आवेदन का पोर्टल द्वारा प्रेषण



सम्बन्धित प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था द्वारा ऊंटनी एवं उससे जन्मी 0-2
माह आयु के नर/मादा संतति (टोडिया) की टैगिंग कर पहचान पत्र जारी
करना एवं ऊंटपालक ऊंटनी एवं उससे जन्मी 0-2 माह आयु के
नर/मादा संतति (टोडिया) स्वप्रमाणित संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
खींचकर पोर्टल पर अपलोड कर संयुक्त निदेशक को प्रेषण



प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था से प्राप्त पहचान पत्र मय फोटो का स्वीकृति
पत्र जारी कर पे-मैनेजर से उष्ट्रपालक के खाते में ऑन लाइन भुगतान

उष्ट्र संरक्षण योजना

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 155 अन्तर्गत ऊँटों की घटती संख्या को रोकने के लिए ऊँटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति के अन्तर्गत "ऊष्ट्र संरक्षण योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ऊँटपालकों को ऊँटों के प्रजनन पर प्रोत्साहन राशि रु. 5000-5000 दो किशतों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना अन्तर्गत कुल राशि रु. 10.00 करोड़ प्रावधान किया गया। योजना 1 नवम्बर-2022 से लागू है। योजना में 0-2 माह आयु के नर/मादा संतति (टोडिया) को शामिल किया गया परन्तु 1 नवम्बर-2022 व उससे बाद में जन्में समस्त नर/मादा संतति (टोडिया) को शिथिलता प्रदान करते हुये 28 फरवरी 2023 तक लाभ देय है।

इस वर्ष हेतु 5000 ऊँटनी जिसकी संतति नर/मादा (टोडिया) की आयु 0-2 माह है को पालने वाले ऊँटपालकों हेतु राशि रु. 250.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।

- **पात्रता:-** ऊँटपालक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
ऊँटनी एवं उससे जन्मे नर/मादा (टोडिया) की आयु 0-2 माह को प्रोत्साहन राशि का लाभ 1 नवम्बर 2022 एवं उसके उपरान्त मिलेगा।
- **योजना क्षेत्र-** सम्पूर्ण राजस्थान।
- **आवेदन-** ऊँटपालकों द्वारा Integrated online medicine management software (पशु औषध) <http://www.pashuaushadh.com/iomms> पर निर्धारित आवेदन फार्म में स्वयं, बैंक खाता, आश्रित ऊँटों, चयन योग्य ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर/ मादा संतति (टोडिया) आयु 0-2 माह के विवरण का आवेदन किया जावेगा।
- **प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था (प.चि./प्र.श्रे.प.चि./ब.उ.प.चि.)** द्वारा ऊँटनी एवं उससे जन्मे आयु 0-2 माह नर/मादा (टोडिया) की टेगिंग कर पहचान पत्र जारी करने उपरान्त जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामनसिटी द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऊँटपालक के बैंक खाते में सीधे ऑन लाइन राशि ट्रान्सफर की जावेगी।
- **योजना का लाभ:-** योजना से ऊँट प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा एवं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। उष्ट्रपालक का आर्थिक उत्थान होगा।

CAMEL CONSERVATION SCHEME

Physical & Financial Progress 2022-23 (amount in lacs)

क्र.सं.	जिला	Financial		Physical (No. of Todiya)	
		Target	Achievement	Target	Achievement
1	AJMER	2.85	2.75	57	55
2	BHILWARA	4.3	4.3	86	86
3	NAGOUR	5.85	2.4	117	48
4	KUCHAMAN CITY	3	3	60	60
5	TONK	0.7	0.7	14	14
6	BHARATPUR	3.2	3.2	64	64
7	KAROLI	2.35	2.35	47	47
8	SAWAIMADHOPUR	3.05	3.05	61	61
9	HANUMANGARH	5	5	100	100
10	ALWAR	5.8	5.8	116	116
11	DAUSA	1.9	1.9	38	38
12	JHUNJHUNU	3.45	3.4	69	68
13	SIKAR	4.7	0	94	0
14	JAISALMER	42.8	38.1	856	762
15	JODHPUR	19.4	19.4	388	388
16	SIROHI	5.2	4.2	104	84
17	BARA	3.65	3.65	73	73
18	BUNDI	3.6	3.6	72	72
19	JHALAWAR	3.25	3.25	65	65
20	KOTA	4.2	4.2	84	84
21	CHITTORGARH	3.2	0.8	64	16
22	RAJASAMAND	2.85	2.85	57	57
23	BARMER	30.4	30.4	608	608
24	JALORE	5.85	5.85	117	117
25	PALI	5.6	5.6	112	112
26	BANSWARA	0.75	0.75	15	15
27	DUNGARPUR	3.15	3.3	63	66
28	PRATAPGARH	0	0	0	0
29	UDAIPUR	2.75	2.75	55	55
30	DHOLPUR	0	0	0	0
31	BIKANER	32.15	18.7	643	374
32	CHURU	23.1	10.4	462	208
33	GANGANAGAR	4.25	0.7	85	14
34	JAIPUR	7.7	7.05	154	141
Total		250	203.4	5000	4068

डॉ. राम गोपाल उज्जवल
संनि. पशुधन, कुक्कुट निष्क.

19/4/2023